

# आयालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार बाड़ी

मु.नं: 74/2018

निर्णय दिनांक 25/11/2018

उनवान:- लकाल काल तहसीलदार

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हल्का ..... ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी

खसरा नम्बर 562 रकबा 1-00 कीच ..... किस्म .....

बारे ग्राम ..... पर ..... पुत्र .....

जाति ..... निवासी ..... तहसील .....

ने सम्बर 2024 रबी/खरीफ में फसल ..... कर

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी उपस्थित आया

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी ..... पुत्र .....

जाति ..... निवासी ..... को आ. ख. नं. 562

..... रकबा ..... वारे ग्राम ..... से तुरन्त प्रभाव से

बेदखल किया जाता है तथा लगान का 50 गुना शास्ती राशि ..... (अक्षरे

स्वयेय ..... आरोपित की जाती है। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू. अभि. नि.को लिखा जावे। TRA को मतालवा कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आल दिनांक 25/11/2018 को

खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

225-7  
 प्रायः शक्ति का अंकन  
 रजिस्टर के पृष्ठ कर्पाक  
 जो कथ मय्या पर किया गया है।  
 दिनांक 25/11/18  
 तह. राजस्व सेवका  
 बाड़ी

तहसीलदार  
 तहसील बाड़ी (धौलपुर) राज.